



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, T. No. 2326696
Email: roc@moef.nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/268/2022/एफ.सी./06

दिनांक: 05.04.2023

सेवा में

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, वापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Other/31275/2018

विषय: कार्योपराग रचीवृत्ति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपो० लि० द्वारा बीसलपुर - बिलसण्डा मार्ग संख्या 62 पी०ए० के वीजेज 14.346 से 14.381 बायीं पटरी पर ग्राम चरखौला तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खरवा / माटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनमूगि 0.114123 हे० संरक्षित वनमूगि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति का प्रश्न है।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक : 2555/11-सी -FP/UP/Other/31275/2018,
दिनांक 09.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक 1557/11-2-2022-201 (सी / 2022, दिनांक-06.09.2022) का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विनियमित प्रस्ताव का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में दिनांक 28.03.2023 को आइत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) का बैठक (REC Agenda item 3.3-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार एका 31181 की सूचना जारी की गई है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं / जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. Names of the authority/body which has granted permission for use of forest land for non forestry purpose without prior approval under FCA.
2. Action taken by the SFD against the Officials for not being able to convert forest land for non forestry purpose without approval of Central Govt.
3. Since area is part of Eco Sensitive Zone so comments of CWI.W are required.
4. Corrupt .kml file of CA area has been uploaded on portal which need to be deleted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन प्रशासकीयक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत वन प्रभाग पीलीभीत
4. वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० कमला नेहरू मार्ग बरेली।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपरसेडिंग आ/अधिसूचना जारी है।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन प्रशासकीयक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3214/11सी-FP/UP/Other/31275/2018 दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 06/2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लि०, (एम०डी०) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।